'रंगराजन कमेटी के फॉर्मूले पर तय हो गन्ने का प्राइस'

[जयश्री भोसले *पुणे*]

महाराष्ट्र की शुगर मिलें रंगराजन कमेटी की सिफारिशें लागू करने के पक्ष में हैं। वे राज सरकार से कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कहेंगी। कमेटी ने शुगर और उसके बाय-प्रोडक्ट्स के प्राइसेज का 70 फीसदी गन्ने का प्राइस तय करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र देश में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर मिलों की यह डिमांड मान ली जाती है तो इससे उन्हें अक्टूबर 2013 से शुरू होने वाले 2013-14 के सीजन में पिछले साल के मुकाबले गन्ने की पेमेंट का पहला एडवांस कम देना होगा।

महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने पहले ही 70 फीसदी रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला लागू करने के लिए कानून बना दिया है।

कोल्हापुर के एक शुगर मिल मालिक ने कहा, 'पिछले साल गन्ने की ऊंची कीमतों से बहुत सी शुगर मिलों की फाइनेंशियल पोजीशन पर खराब असर पड़ा है। चीनी के मौजूदा दाम को देखते हुए गन्ने के लिए इस बार पिछले साल जितना प्राइस देना मुश्किल होगा।'

शुगर इंडस्ट्री के इस कदम का मकसद किसान संगठनों के आंदोलनों की वजह से गन्ने की बढ़ती लागत को नियंत्रण में रखना है। हालांकि, शुगर इंडस्ट्री का कहना है कि रंगराजन कमेटी का रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला तभी सफल हो सकता है कि जब केंद्र सरकार चीनी की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप करे। केंद्र सरकार हर साल गन्ने के लिए फेयर एंड रेम्युनेरेटिव प्राइस (एफआरपी) तय करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारें अपने स्टेट एडवाइजरी प्राइस (एसएपी) का खुद फैसला करती हैं, जो एफआरपी से ज्यादा होता है।

सरकार से अनुरोध

महाराष्ट्र की शुगर मिलें राज्य सरकार से रंगराजन कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए कहेंगी। कमेटी ने शुगर और उसके बाय-प्रोडक्ट्स के प्राइसेज का 70 फीसदी गन्ने का प्राइस तय करने की सलाह दी है

महाराष्ट्र में शुगर को-ऑपरेटिव्स किस्तों में गन्ने का भुगतान करती हैं।

महाराष्ट्र की प्राइवेट शुगर मिल नेचुरल शुगर्स के सीएमडी बी बी थॉम्ब्रे ने बताया, 'नए पेराई सीजन की शुरुआत में आमतौर पर चीनी के दाम ऊंचे होते हैं। हालांकि, ये पूरे साल ऊंचे नहीं रहते। गन्ने का प्राइस चीनी की कीमत के 70 फीसदी पर फिक्स करने से मिलों को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। गन्ने का प्राइस केवल चीनी के दाम से नहीं बल्कि इसकी रिकवरी से भी जुड़ा होना चाहिए।'

केंद्र सरकार ने रंगराजन कमेटी की सिर्फ कुछ ही सिफारिशों को लागू किया है। उसने लेवी शुगर और रिलीज मैकेनिज्म को खत्म कर दिया है। उसने बाकी सिफारिशें लागू करने के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। हालांकि, शुगर इंडस्ट्री का मानना है कि समिति की सभी सिफारिशें लागू करने के लिए सरकार का दखल जरूरी है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के प्रेसिडेंट और कर्नाटक के श्री चामुंडेश्वरी शुगर्स के एमडी एम श्रीनिवासन ने कहा कि केंद्र सरकार को रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला को ठीक तरह से लागू करने के लिए दखल देना होगा।